



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216163
CG-DL-E-14022020-216163

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]
No. 652]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

का.आ. 715(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासकीय राजपत्र में संख्या का.आ. 3190(अ) दिनांक 03.09.2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2 उक्त अधिसूचना में, खंड (ग) में, मद संख्या (ii) और (iii) के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) अपर सचिव (एच); श्री शिव दास मीना, और

(iii) संयुक्त सचिव (एल एण्ड ई); सुश्री डी. थारा,”

[फा. सं. 14011/20/2019-दिल्ली-II]

अनुज शर्मा, संयुक्त सचिव (यू.टी.)

नोट : मुख्य अधिसूचना दिनांक 03 सितंबर, 2019 की संख्या का.आ. 3190(अ) और दिनांक 17.09.2019 की संख्या का.आ. 3352(अ) के तहत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 13th February, 2020

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, published in the Official Gazette vide number S.O. 3190(E), dated the 3rd September, 2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in clause (c), for the item numbers (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:—

- “(ii) Additional Secretary (H); Shri Shiv Das Meena,
- (iii) Joint Secretary (L&E), Ms. D. Thara.”

[F. No. 14011/20/2019-Delhi-II)

ANUJ SHARMA, Jt. Secy. (UT)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3190(E), dated the 3rd September, 2019 and subsequently amended *vide* number S.O. 3352(E), dated the 17th September, 2019.